न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या0 03/23

1. सुन्दरलाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 50 साल जाति ब्राह्मण निवासी तिमासिया तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र पांचिया उम्र 66 जाति ब्राह्मण निवासी तिमासिया तह0 बसेड़ी धौलपुर।
2. प्रीति गर्ग पत्नी राहुल गर्ग उम्र 35 जाति वैश्य निवासी तिमासिया तह0 बसेड़ी धौलपुर।
3. महेश चंद गर्ग पुत्र जगन्नाथ प्रसाद उम्र 50 जाति वैश्य निवासी तिमासिया तह0 बसेड़ी धौलपुर।
4. सरवती पत्नी रायसिंह उम्र 38 जाति ठाकुर निवासी घड़ी तिमासिया तह0 बसेड़ी धौलपुर।
5. गजेन्द्र पुत्र रामदयाल उम्र 35 जाति गुसाई निवासी बसई जगनेर।
6. उपपंजीयक महोदय तहसील बसेड़ी।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी. एक्ट

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)
वकील प्रार्थी –श्री संजीव शर्मा अधिवक्ता
वकील अप्रार्थीगण – श्री राजवीर सिंह परमार अधिवक्ता

दिनांक 13.11.2025

निर्णय

हस्तगत प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त आराजी परिशिष्ट "अ" के खसरा नम्बर 2475/1696 रकवा 0.2500 है0 बाके ग्राम बसेड़ी द्वितीय तह0 बसेड़ी तथा परिशिष्ट "ब" के खसरा नम्बर 1518, 1526, 1388, 1382, 1393, 1519, 1525, 1586, 1625, 1389 रकवा क्रमशः 0.4400, 0.4300, 0.0800, 0.1800, 0.3900, 0.4400, 0.4300, 0.2700, 0.2900, 0.1000 कुल किता 10 कुल रकवा 3.3000 है0 बाके ग्राम स्थित तिमासिया तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर। विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार सायल व गैरसायल है व विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी में अभी तक कोई बटवारा नही हुआ है। विवादग्रस्त आराजी में सायल परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब में 1/8 का हिस्सेदार है व सभी गैरसायलान भी अपने हिस्सा अनुसार काश्त कर रहे है। विवादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

राजी में सायल व गैरसायलान संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है व अपने हिस्से नुसार विवादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादग्रस्त आराजी में सायल व गैरसायलान में विवादग्रस्त आराजी के खाद, बीज, जुताई, बुबाई के खर्चों के बावत आपस में झगड़ा होता रहता है। इसलिए अब विवादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। दिनांक 02.01.2023 को सायल विवादग्रस्त आराजी की देख–रेख कर रहे थे कि गैरसायलान आये और सायल को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर किसी दीगर व्यक्ति को बिना बंटवारा कराये रहनवय मुन्तकिल करने की धमकी दी। उपरोक्त परिस्थितियों में सायल के लिए आवश्यक हो गया है कि वह जरिये न्यायालय विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराकर लगान व खाता पृथक–पृथक कायम कराकर राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार इन्द्राज कराने के आदेश कराकर गैरसायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह सायल के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत वेजा नहीं करें। वाद कारण दिनांक 02.01.2023 को गैरसायलान द्वारा सायल को विवादित आराजी से बेदखल कर बिना बंटवारा कराये किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ जा आज भी जारी है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि:–

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र सायल खिलाफ गैरसायलान स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी परिशिष्ट "अ" के खसरा नम्बर 2475/1696 रकवा 0.2500 है0 बाके ग्राम बसेड़ी द्वितीय तह0 बसेड़ी तथा परिशिष्ट "ब" के खसरा नम्बर 1518, 1526, 1388, 1382, 1393, 1519, 1525, 1586, 1625, 1389 रकवा क्रमशः 0.4400, 0.4300, 0.0800, 0.1800, 0.3900, 0.4400, 0.4300, 0.2700, 0.2900, 0.1000 कुल किता 10 कुल रकवा 3.3000 है0 बाके ग्राम स्थित तिमासिया तह0 बसेड़ी जिला धौलपुर में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी को को किसी दीगर व्यक्ति को बिना बंटवारा कराये रहनवय मुन्तकिल नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति को बनाये रखे। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी जाकर आदेशिका दिनांक 06.01.2023 से इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि विवादितग्रस्त आराजी परिशिष्ट 'अ' के खसरा नम्बर 2475/1696 रकवा 0.2500 है0 कुल किता 1 कुल रकवा 0.2500 है0 बाके ग्राम बसेड़ी द्वितीय तहसील बसेड़ी तथा परिशिष्ट ब के खसरा नम्बर 1518, 1526, 1388, 1382, 1393, 1519, 1525, 1586, 1625, 1389 रकवा क्रमशः 0.4400, 0.4300, 0.0800, 0.1800, 0.3900, 0.4400, 0.4300, 0.2700, 0.2900, 0.1000 कुल किता 10 कुल रकवा 3.3000 है0 बाके स्थित ग्राम तिमासिया तहसील बसेड़ी में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐं रखने रखें रहन वय मुन्तकिल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2, 3, 4 व 6 बाबजूद सूचना के उपस्थित न होने पर अप्रार्थीगण 2, 3, 4 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 1 व 5 ओर से श्री राजवीर सिंह परमार अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह परमार ने अप्रार्थीगण 1 व 5 की ओर जबाव प्रार्थना पत्र 212 पेश कर अवगत कराया है कि विवादग्रस्त आराजी विवादग्रस्त आराजी का विवरण व ग्राम बसेड़ी द्वितीय व तिमासिया तहसील बसेड़ी में स्थित होना स्वीकार है। शेषमद जिस प्रकार तहरीर की गयी है। गलत व असत्य है। स्वीकार नही

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण उत्तरदाता द्वारा विवादग्रस्त आराजी का करीब 20 साल पहले बाह्मी तौर पर बटवारा हो गया है सभी पक्षकारान मुकदमा अपने–अपने हिस्से की जमीन पर काविज रह कर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण उत्तरदाता विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है व खातेदार के खिलाफ नियमानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। बाद में प्रार्थना पत्र 212 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस बावत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि विवादित आराजी के खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी है लेकिन अप्रार्थी उत्तरदाता 1 व 5 का खसरा नम्बर 2475/1696 बाके गाम बसेड़ी द्वितीय तहसील बसेड़ी तथा, 1518 1388, 1382, 1526, 1625 बाके ग्राम तिमासिया तहसील बसेड़ी में सहखातेदार काश्तकार नही है ना ही उनका नाम व सरोकार है। उत्तरदाता अप्रार्थी 1 व 5 का संबंध में केवल खसरा नम्बर 1526, 1393, 1519, 1525, 1389 बाके ग्राम तिमासिया तहसील बसेड़ी के सहखातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार कशतकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी का वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बटवारा नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ने अपने जवाब के कथनों का दोहराव किया तथा प्रमुखतः कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1389 रकवा 0.1000 है0 बाके ग्राम तिमासिया तहसील बसेड़ी में अप्रार्थी 5 1/2 भाग का सहखातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 1526 में अप्रार्थी 1 3/8 भाग के सहखातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नम्बर 1393, 1519, 1525 में अप्रार्थी 1 1/2 भाग के सहखातेदार काश्तकार है। हमारे द्वारा विधिसंगत रूप से बंटवारे के लिए इंकार नहीं किया गया है परन्तु प्रार्थी जो विवादित आराजी में केवल 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है ने अप्रार्थीगण को बेजा तरीके से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया हैं। प्रार्थी ने बदनीयती से विवादित आराजी का रहन, बय, मुन्तकिल की कार्यवाही को भी गलत तरीके से रूकवा रखा है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम संयुक्त अविभाजित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी अविभाजित सहखातेदारी की आराजी है जिसके संबंध में धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद लाया गया है। जब तक आराजी का विभाजन नही हो जाता प्रत्येक सहकाश्तकार का हिस्सानुसार प्रत्येक इंच आराजी पर कब्जा माना जाता है। जहां तक विवादित आराजी के बेचे जाने का प्रश्न है उल्लेखित है कि किसी रिकॉर्ड खातेदार को उसके हिस्से तक की आराजी को रहन, बैय, हिबा से पूरी तरह पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अजनबी क्रेता को विभाजन उपरान्त ही आराजी में प्रवेश करना चाहिए। यदि मृतक खातेदार के विरासत नामान्तरकरण तथा पंजीबद्ध बैयनामा से सद्भावी क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाती है अथवा कोई अप्रार्थीगण अपने हिस्से तक की आराजी को रहन, बैय, हिबा करें भी तो प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा ओदशिका दिनांक 06.01.2023 से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को इस प्रकार संशोधित कर ताफैसला वाद संपुष्ट (Confirm) किया जाता है कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से तक की आराजी को रहन, बैय, हिबा करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु वह ऐसा आराजी मुतनाजा बाबत किसी विशिष्ठ भू–भाग अथवा दिशा विशेष का उल्लेख करते हुए रहन, बैय, मुंतकिल नही कर सकेगा तथा यदि कोई विवादित आराजी को कय करता है तो वह अजनबी क्रेता बिना विधिवत विभाजन कराये आराजी में प्रवेश नही कर सकेगा। रिकॉर्ड में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी कोई पाबंन्दी नही रहेगी, विरासत नामान्तरकरण तथा पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही पर कोई पाबन्दी नही रहेगी। मौके पर कोई भी पक्षकार बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश/संपरिवर्तन आदेश कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं करने के पाबंद रहेंगे।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया, शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर सलंग्न वाद पत्रावली हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner